संख्या- **19/2020/1030-प्रो०/51-2020-14(06)/2019**

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

मुख्यमंत्री कार्यालय(प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2020

विषयः राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-733/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 31 जनवरी, 2020, संख्या-739/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 18 मार्च, 2020 तथा संख्या- 123/प्रोटोकाल/2020, दिनांक 20-03-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 2,12,531=00 (रूपये दो लाख बारह हजार पांच सौ इक्तीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रम सं०	राज्य अतिथि का नाम	भ्रमण की अवधि	देयक संख्या व दिनांक	धनराशि
1	मा० न्याय श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० सुप्रीम कोर्ट	04-01-2020	PRJ-177 17-01-2020	4,515=00
2	मा० न्याय० श्री विक्रम नाथ, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट	04-01-2020 से 04-01-2020	PRJ-178 17-01-2020	13,545=00
3	मा० न्याय० श्री अशोक भूषण, जज, मा० सुप्रीम कोर्ट	02-01-2020	PRJ-179 17-01-2020	4,515=00
4	श्री रतन लाल कटारिया, मा० केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री	29-01-2020 से 30-01-2020	PRJ-188 01-02-2020	13,545=00
5	मा० न्याय श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० सुप्रीम कोर्ट	01-02-2020 से 02-02-2020	PRJ-194 05-02-2020	18,060=00
6	श्री फग्गन सिंह कुलास्ते, मा० केन्द्रीय स्टील मंत्री, भा० स०	02-02-2020	PRJ-195 05-02-2020	20,995=00
7	मा० न्याय श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० सुप्रीम कोर्ट	25-06-2020	PRJ-61 03-07-2019	13,546=00
8	मा० न्याय० श्री अशोक भूषण, जज, मा० सुप्रीम कोर्ट	30-11-2019 से 01-12-2019	ALI-417150 30-11-2019	63,120=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9	श्री सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	27-02-2020 से 01-03-2020	589 15-03-2020	17,430=00
10	श्रीमती शकुन्तला डोले गेमलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार	27-02-2020 से 01-03-2020	590 15-03-2020	17,430=00
11	श्री कृष्ण पाल गुर्जर, मा० केन्द्रीय सा० न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भा०स०	28-02-2020 से 29-02-2020	587 15-03-2020	8,610=00
12	श्री रतन लाल कटारिया, मा० केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री	28-02-2020 से 29-02-2020	588 15-03-2020	8,610=00
13	श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भा०स०	28-02-2020 से 29-02-2020p	595 15-03-2020	8,610=00
कुल योग (रूपये दो लाख बारह हजार पाँच सौ इक्तीस मात्र)				**2,12,531=00**

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-१ पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से संबंधित देयक मूल रूप में वापस किए जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- "2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (मूल रूप में)

भवदीय
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 19/2020/1030(1)-प्रो०/51-2020-14(06)/2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम टिहरी कोठी परिवहन भवन,लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, अलीगढ़/प्रयागराज।
7. हर्षित ट्रावेल्स, 206ए/80ए टैगोर टाउन, प्रयागराज।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in